

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली


अतारांकित प्रश्न संख्या :- 228

दिनांक :- 11.08.2017

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अखिलेश पति त्रिपाठी, विधायक

क्या जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए जल का अधिकार सुनिश्चित किए जाने हेतु "जल-अधिकार" का प्रस्ताव पारित किया गया,	दिल्ली जल बोर्ड से सम्बन्धित नहीं हैं ।
(ख)	क्या यह भी सत्य है कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को पानी का कनेक्शन अभी तक नहीं मिल पाया है;	जी हाँ ।
(ग)	इस पर सरकार की क्या कार्य योजना है;	<u>ग एवं घ:-</u> दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व विभाग ने इस विषय की संस्तुति कर, दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है।
(घ)	झुग्गी-झोपड़ी वालों को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल का कनेक्शन कब तक दे दिया जाएगा; और	सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात व विधानसभा में पारित होने के दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम-1998 में परिवर्तन किया जाएगा, तत्पश्चात ही झुग्गी-झोपड़ियों में जल कनेक्शन दिया जा सकेगा ।
(ङ.)	उपरोक्त योजना के लिए सरकार ने कितना धन नियत किया है, इसका पूर्ण विवरण दें ?	झुग्गी-झोपड़ योजना हेतु दिल्ली सरकार द्वारा रुपये 7.00 करोड़ की राशि नियत की गई है ।

  
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

निदेशक (प्र. एवं कार्म.)  
Director (A & P)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार  
D. J. B., Govt. of NCT of Delhi